कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 989 /XXV–08(2)/2018 देहरादूनः दिनांक 21 मई, 2018.

सेवा में, **अति–महत्वपूर्ण**

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

विषयः– **जनपद चमोली की 05–थराली (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन–2018 मतदान दिवस पर अवकाश के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–408/XXXI(15)18/G/यू0ओ0 01 (सा0)/2012–18 दिनांक 02 मई, 2018 (प्रति संलग्न) जिसके माध्यम से 05–थराली(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2018 हेतु मतदान दिवस दिनांक 28 मई, 2018 को उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों) तथा समस्त सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त श्रम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–673(1)/VIII/ 18–331(श्रम)/2002 दिनांक 16 मई, 2018 (प्रति संलग्न) जिसके माध्यम से 05–थराली(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया तद्नुसार मतदान दिवस पर समस्त अर्ह मतदाताओं हेतु मताधिकार के प्रयोग के लिए अवकाश के सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए **मतदान दिवस पर अवकाश के संबंध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।**

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या–408/XXXI(15)18/G/यू0ओ001 (सा0)/2012-18

देहरादून दिनांक: 02 मई, 2018

अधिसूचना

निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा–25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुये, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/5–56–पब–2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/32/2018 दिनांक 26 अप्रैल 2018 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा उप निर्वाचन–2018 हेतु **जनपद–चमोली में समाविष्ट 05–थराली,(अ0जा0)** विधान सभा निवार्चन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों(उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित **मतदान तिथि 28 मई, 2018 (सोमवार)** को विधान सभा क्षेत्र थराली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उक्त तिथि को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त उपकोषागार तथा कोषागार भी बन्द रहेंगें।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)

प्रमुख सचिव।

संख्या–408/XXXI(15)18/G/यू0ओ001 (सा0)/2012-18 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत् निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय तथा कार्यालयों में उक्त निर्दिष्ट तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, चमोली, उत्तराखण्ड।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्य मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ।

12. महानिदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
13. निदेशक, मुद्रंण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड प्रदेश के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– / VIII / 18–331(श्रम) / 2002
देहरादून, दिनांकः 16 मई, 2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा–26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, जनपद चमोली के अन्तर्गत 05–थराली (अ॰–जा॰) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निर्वाचन हेतु उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान के दिन 28 मई, 2018 (सोमवार) को, उक्त अधिनियम की धारा–11 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसी दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बन्दी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या 673 (1) / VIII / 18–331(श्रम) / 2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को जन–सामान्य में प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु।
5. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड को इस निर्देश से प्रेषित कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 03.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा,135 ख के अन्तर्गत **Grant of Paid Holiday to Employees on the day of poll** के उपबन्ध के अनुपालन में थराली विधान सभा क्षेत्र में स्थित समस्त कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठान / स्थापनों में कार्यरत कार्मिकों को मतदान की तिथि 28.05.2018 को सवेतन अवकाश उपलब्ध कराने हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. उप / सहायक निदेशक, कारखाना / बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. उप / सहायक श्रमायुक्त / श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस.एस.वल्दिया)
अपर सचिव।

UO Labour P.B